न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— दिलीप सिंह

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
93 / 2025	20.08.2025	10.10.2025

उनवान

1. गौरीशंकर पुत्र उदा
2. प्रहलाद सहाय पुत्र उदा

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम ढोढसर, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय चौमूँ, जिला जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल0आर0 एक्ट

निर्णय दिनांक 10.10.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि वाके ग्राम ढोढसर, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में वर्तमान खसरा नम्बर 559 रकबा 0.4587 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 561 रकबा 0.0235 हैक्टेयर, खसरा नम्ब 565 रकबा 0. 0027 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 582 रकबा 0.4336 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 583 रकबा 0.0976 हैक्टेयर कुल किता 5 का कुल रकबा 1.0161 हैक्टेयर स्थित है।

प्रार्थीगण के उक्त मद संख्या 1 में वर्णित खसरा नम्बरान के नये सर्वे 2081 तृतीय सेटलमेन्ट के पूर्व के खसरा नम्बर 1021 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1022/2154 रकबा 0. 21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1023 रकबा 0.33 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 1.1400 हैक्टेयर रहे है। प्रार्थीगण की मद संख्या 2 में वर्णित खसरा नम्बर के गत खसरा नम्बर 729 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा रहा है।

प्रार्थीगण की कृषि भूमि शुरू सही 4 बीघा 10 बिस्वा रही है तथा प्रथम सर्वे के पश्चात 1. 14 हैक्टेयर रही है लेकिन वर्तमान सर्वे अर्थात तृतीय सेटलमेन्ट के दौरान प्रार्थीगण की भूमि का रकबा 1.14 हैक्टेयर से घटाकर 1.0161 हैक्टेयर कर दिया गया जो प्रार्थीगण को बिना सुने, बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों द्वारा क्षेत्राधिकार से परे जाकर किया है जो कतई न्यायोचित नही है जो रकबा दुरूस्ती गत रिकॉर्ड के अनुसार दुरूस्ती योग्य है।

प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का गत खसरा नम्बर 1022/2154 रकबा 0.21 हैक्टेयर रहा है तथा पडौसी खातेदार को खसरा नम्बर 1022 का रकबा 0.06 हैक्टेयर रहा है। उक्त दोनों खसरा नम्बर राजस्व नक्शे में त्रुटिवश विपरीत स्थिति में स्थापित रहे है। खसरा नम्बर 1022 के राजस्व नक्शे पर खसरा नम्बर 1022/2154 लिखा हुआ है तथा खसरा नम्बर 1022/2154 के राजस्व नक्शे पर खसरा नम्बर 1022 त्रुटिवश राजस्व कर्मचारियों द्वारा लिखा हुआ है जो राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
चौमूँ, (जयपुर)

नक्शे के रकबे व आकति को देखने से ही स्पष्ट है जो गलत लिखे हुए है जो राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

वर्तमान सर्वे तृतीय सेटलमेन्ट के दौरान प्रार्थीगण के गत खसरा नम्बर 1022/2154 रकबा 0.21 हैक्टेयर के वर्तमान खसरा नम्बर 561 रकबा 0.0255 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 565 रकबा 0.0027 हैक्टेयर से बने है जिनका कुल रकबा 0.0262 हैक्टेयर ही बनता है जो रकबा सेटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा क्षेत्राधिकार से परे जाकर बिना सक्षम न्यायालय के आदेश से कम किया है जबकि गत खसरा नम्बर 1022 रकबा 0.06 हैक्टेयर के नये खसरा नम्बर 562 बनाकर रकबा 0.2015 हैक्टेयर बढा दिया गया जो गलत है तथा उक्त रकबा गत खसरा नम्बर अनुसार दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर. एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के मद संख्या 4, 5, 6 व 7 में वर्णितानुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शे में दुरूस्ती करने बाबत अप्रार्थी को आदेश प्रसारित करने की कृपा करें।

पत्रावली पेश हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। पत्रावली पर तहसीलदार चौमूं से रिपोर्ट दिनांक 11.09.2025 प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में उपस्थित अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, रिकार्ड, तहसीलदार चौमूं रिपोर्ट दिनांक 11.09.2025 का बगौर अवलोकन किया गया। जिससे प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल0आर0एक्ट का मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चौमूं दिनांक 11.09.2025 व रिपोर्ट के संलग्न नक्शे अनुसार स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता हैं तथा वाके ग्राम ढोढसर, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में वर्तमान खसरा नम्बर 559 रकबा 0.4587 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 561 रकबा 0.0235 हैक्टेयर, खसरा नम्ब 565 रकबा 0.0027 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 582 रकबा 0.4336 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 583 रकबा 0.0976 हैक्टेयर कुल किता 5 का कुल रकबा 1.0161 हैक्टेयर का हाल राजस्व रिकॉर्ड, नक्शे को गत राजस्व रिकॉर्ड व नक्शे अनुसार मुताबिक तहसीलदार चौमूं से प्राप्त रिपोर्ट दिनाक 11.09.2025, रिपोर्ट के संलग्न नक्शे के अनुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट दिनांक 11.09.2025 रिपोर्ट के संलग्न नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। पालना हेतु तहसीलदार चौमूं को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/10/25

दिलीप सिंह
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी चौमूं, जयपुर
उपखण्ड अधिकारी
चौमूँ (जयपुर)